समाहरणालय, सीतामढ़ी
(जिला सामान्य प्रशाखा)

दूरभाष :– 06226–250439(O)
06226–250405 (R)
(फैक्स) 06226–254516,250535
ई–मेल :– dm-sitamarhi.bih@nic.in

पत्रांकः–556/जि0सा0,

प्रेषक,

डॉ0 प्रतिमा, (भा0 प्र0 से0)
जिला दंडाधिकारी,
सीतामढ़ी।

सेवा में,

सभी थानाध्यक्ष, सीतामढ़ी जिला
सभी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सीतामढ़ी जिला
सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, सीतामढ़ी जिला

सीतामढ़ी, दिनांक 02 वीं ~~जून~~ जुलाई 2014.

विषय :– National Database of Arms Licences के क्रियान्वयन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश के आलोक में सभी प्रकार की शस्त्र अनुज्ञप्तियों का database NIC द्वारा विकसित प्रपत्र में तैयार किया जाना है और सभी अनुज्ञप्तिधारियों को दिनांक 01.10.2015 के पूर्व एक विशिष्ट संख्या (Unique Number) आवंटित किया जाना है। उक्त तिथि के बाद बिना विशिष्ट संख्या के कोई भी अनुज्ञप्ति वैद्य नहीं होगी। अनुज्ञप्तिधारियों के Database को तैयार करने हेतु चार तरह के विहित प्रपत्र तैयार किये गये हैं जो निम्नवत है :–

Form-1 → सीतामढ़ी जिला से शस्त्र अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारियों के लिए।

Form-2 → सीतामढ़ी जिला से बाहर के अनुज्ञप्तिधारी जो सीतामढ़ी O.D पंजी में पंजीकृत है।

Form-3 → Sporting Weapon के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारियों के लिए।

Form-4 → संस्थान के नाम से अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारियों के लिए।

अंकनीय है कि अनुज्ञप्तिधारियों के द्वारा सभी सूचनाएँ विहित प्रपत्र में पूर्ण एवं शुद्ध रूप से दिनांक–31.8.14 तक निश्चित रूप से भरकर जिला शस्त्र शाखा, सीतामढ़ी में जमा कर देना है एवं पावती रसीद प्राप्त कर लेना है। विहित प्रपत्र में वांछित सूचनाएँ फैक्स/ई–मेल/डाक से स्वीकार्य नहीं होंगी बल्कि अनुज्ञप्तिधारी अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि से व्यक्तिगत रूप में ही प्राप्त की जाएंगी। विहित प्रपत्र के साथ शस्त्र अनुज्ञप्ति की छायाप्रति एवं अनुज्ञप्तिधारी का एक अद्यतन अद्यतन फोटो भी संलग्न किया जाना है। निर्धारित तिथि तक प्रपत्र नहीं भरने वाले अनुज्ञप्तिधारियों का database तैयार नहीं हो सकेगा और उनकी अनुज्ञप्ति दिनांक 01.10.2015 से अवैध हो जाएगी जिसके लिए वे पूर्णतया जिम्मेवार होंगें।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में विहित प्रपत्र की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को उक्त विषयवस्तु से अवगत कराते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

जिला दण्डाधिकारी,
सीतामढ़ी।

सीतामढ़ी जिला के शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के लिए महत्त्वपूर्ण सूचना

एतत् द्वारा सीतामढ़ी जिला के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को सूचित किया जाता है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश के आलोक में सभी प्रकार की शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों का database NIC द्वारा विकसित प्रपत्र में तैयार किया जाना है और सभी अनुज्ञप्तिधारियों को दिनांक 01.10.2015 के पूर्व एक विशिष्ट संख्या (Unique Number) आवंटित किया जाना है। उक्त तिथि के बाद बिना विशिष्ट संख्या के कोई भी अनुज्ञप्ति वैध नहीं होगी। अनुज्ञप्तिधारियों के database को तैयार करने हेतु चार तरह के विहित प्रपत्र तैयार किये गये हैं, जिसे सभी थानों/अनुमण्डल पदाधिकारी के कार्यालय/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय, पुलिस अधीक्षक एवं जिला दण्डाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। यह प्रपत्र जिला के website:www.sitamarhi.bih.nic.in पर भी उपलब्ध है।

Form-1→ सीतामढ़ी जिला से शस्त्र अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारियों के लिए।

Form-2→ सीतामढ़ी जिला से बाहर के अनुज्ञप्तिधारी जो सीतामढ़ी O.D पंजी में पंजीकृत है।

Form-3→ Sporting Weapon के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारियों के लिए।

Form-4→ संस्थान के नाम से अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारियों के लिए।

सभी सूचनाएँ विहित प्रपत्र में पूर्ण एवं शुद्ध रूप से दिनांक 31/8/14 तक निश्चित रूप से भरकर जिला शस्त्र शाखा, सीतामढ़ी में जमा कर देना है एवं पावती रसीद प्राप्त कर लेना है। विहित प्रपत्र में वांछित सूचनाएँ फैक्स/ई–मेल/डाक से स्वीकार्य नहीं होंगी बल्कि अनुज्ञप्तिधारी अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि से व्यक्तिगत रूप में ही प्राप्त की जाएंगी। विहित प्रपत्र के साथ शस्त्र अनुज्ञप्ति की छायाप्रति एवं अनुज्ञप्तिधारी का एक अद्यतन फोटो भी संलग्न करना होगा। निर्धारित तिथि तक प्रपत्र नहीं भरने वाले अनुज्ञप्तिधारियों का database तैयार नहीं हो सकेगा और उनकी अनुज्ञप्ति दिनांक 01.10.2015 से अवैध हो जाएगी जिसके लिए वे पूर्णतया जिम्मेवार होंगे।

2/7/14

जिला दण्डाधिकारी,
सीतामढ़ी।